

—:आज्ञा:—


वर्ष 2018-19 में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा के निम्नांकित अधिकारियों के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पद	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	श्री सियाराम शर्मा, सहायक निदेशक	14.04.1958	30.04.2018
2	श्री भगवान सिंह ढाका, सहायक निदेशक	30.06.1958	30.06.2018
3	श्रीमती मंजू बत्रा, सहायक निदेशक	15.08.1958	31.08.2018
4	श्री अशोक कुमार सैनी, सहायक निदेशक	25.10.1958	31.10.2018
5	श्री नरेश कुमार सुरेलिया, वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक	04.11.1958	30.11.2018
6	श्री निहाल सिंह हंसावत, सहायक निदेशक	15.11.1958	30.11.2018
7	श्री हरिकृष्ण ऋंगी, सहायक निदेशक	15.01.1959	31.01.2019
8	श्री शकूर मौहम्मद कुरेशी, सहायक निदेशक	01.04.1959	31.03.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नामित अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-


- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम- 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

कृपया सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के संबंध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में आवंटि की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश गुप्ता) 12/3/18
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ)
5. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव 12/3/18

राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग
क्रमांक प.4(23)वित्त/राजस्व/1994 लूज

जयपुर दिनांक 15 MAR 2018


संशोधन

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 12.03.2018 में क्रम संख्या 7 पर अंकित श्री हरिकृष्ण, सहायक निदेशक के नाम में उल्लेखित "ऋंगी" के स्थान पर "श्रृंगी" पढ़ा जावे।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश गुप्ता) F1513/18
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ)
5. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली।
6. रक्षित पत्रावली।


F1513/18
संयुक्त शासन सचिव